

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022—फाल्गुन 13, शक 1943

भाग ३

## स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. 598-पंचायत सेल-निर्वाचन-2022.—मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ 16-5-2019-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 जून 2019 में दिये गये निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-बाईस-पं.1, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, क्षितिज सिंघल, कलेक्टर, सागर, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126(1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सागर अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तम्भ (5) के सम्मिलित ग्राम को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 74, भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

सारणी

संक्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सागर	सागर	कर्णपुर	कर्णपुर, लुहारी, खिरिया
2			बारछा	बारछा, तिन्हुवा, चिराई
3			मंडगुवां	मंडगुवां
4			सिमरिया	सिमरिया, गोरा, धारखेड़ी

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर.

सागर, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. 599-पंचायत सेल-निवाचन-2022.—मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्र मांक-एफ 16-5-2019-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 जून 2019 में दिये गये निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95-बाईस-पं.-1, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, क्षितिज सिंघल, कलेक्टर, सागर, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126(1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सागर अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तम्भ (5) के सम्मिलित ग्राम को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 76, भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

## सारणी

सं. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सागर	रहली	मगरधा	अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा
2			बेलई	भौरदाहर, मंझगुवां
3			संजरा	रनगुवां
4			बसारी	बसारी
5			बरखेरागाँतम	हिनौता

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 02 मार्च 2022

क्र.-168-जि.श.वि.अभि.-2022.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1-06-2022-अठारह-3, भोपाल दिनांक 28 फरवरी 2022 से प्राप्त निर्देश अनुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के साथ सहपरित धारा-6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायसेन जिले की बाड़ी विकासखण्ड की तहसील बरेली की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को नगरपालिका परिषद् का उन्नयन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतिविष्ट किसी बाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 (सात दिवस) के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव, कलेक्टर, जिला रायसेन को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद् बरेली में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

## अनुसूची

सं. क्र.	जिला	विकासखण्ड	प्रभावित ग्राम पंचायत	सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (है. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रायसेन	बाड़ी	कामतौन	कामतौन	1019.001
2			धौखेडा	धौखेडा	335.549
3			कोटपार गणेश	कोटपार गणेश	323.222

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर.

Raisen, the 2<sup>nd</sup> March 2022

No. 168-DUDA-2022.—According to the direction received from the Urban Development and Housing Department Madhya Pradesh by the *vide* letter number F-1-06-2022-XVIII-3, Bhopal, dated 28<sup>th</sup> Februay 2022 under the Section 5 read with the Section 6 of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961. In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following Schedule within the limits of Badi block of the Raisen District is initially notified for the formation of Nagar Palika Parishad Bareli. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there-in, may within 7 (Seven) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette give its written objection/suggestion to the District Collector Raisen. After the time period any objection will not be valid which will be considered by the State Government.

**Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parisad Bareli.**

**SCHEDULE**

S. No.	District	Block	Name of the affected Gram Panchayat (4)	Included Revenue Villages (5)	Area (Ha.) (6)
(1)	(2)	(3)			
1	Raisen	Badi	Kamton	Kamton	1019.001
2			Dhokheda	Dhokheda	335.549
3			Kotpar Ganesh	Kotpar Ganesh	323.222

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARVIND KUMAR DUBEY, Collector,